फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय ज[यपुर]

जगदीश मीणा बनाम गोकुल प्रसाद मीणा व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या : 14 / 2025

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/05/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उक्त रसीद रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20/03/25 की तामील प्राप्ति रिपोर्ट के पेश की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तामील स्वीकार्य है। एक माह से अधिक की अवधि हो चुकी है। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है अतः अप्रार्थीगण 01 ता 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते हैं। बहस प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया गया है कि मिन प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम पूठका बास उर्फ चावा का बास तह. आमेर स्थित भूमि आ.ख.नं. 262, 263, 264, 268, 269, 270 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 0.5100 हे. के सन्दर्भ में पक्षकारान के मध्य हिस्सानुसार भूमि के विधिक विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में मिन प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज अंकित/निहित है। उक्त संदर्भ में भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत हस्तगत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाबत अप्रार्थीगण से वादपत्र के अभिकथनों, भूमि के विधिक विभाजन बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा जवाब, खंडन आदि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम गोकुल व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

14/2025 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]/25	सन्दर्भ में विधिवत नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिसकी प्राप्ति के उपरांत भी अप्रार्थीगण की ओर से ना तो न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति दी प्रस्तुत की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी सक्षम स्तर पर व किसी भी रूप में कोई मान्य/औपचारिक खंडन ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि मिन प्रार्थी द्वारा भी अपनी अभिलिखित सहखातेदारी अनुसार भूमि के विधिवत विधिक विभाजन तथा विधिक विभाजन होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। जिसके बाबत किसी पक्षकारान के मध्य अन्य कोई विवाद ना हो तथा न्यायालय हाजा के समक्ष वाद बहुलता उत्पन्न ना हो। न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत भी भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तुर्फेजल मुलवाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे उपरोक्त उल्लेखित वादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लेखित [illegible] भूमि के संदर्भ में विधिक	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:21 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम गोकुल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर (टी.आई.)

केस संख्या 14/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/5/25	प्रक्रिया अनुसार भूमि के विधिक विभाजन के आशय का मूलवाद प्रस्तुत किया गया है जिसके संदर्भ में अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद विधिवत प्राप्ति की तामील के न्यायालय हाजिर व स्वयं उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई मान्य/औपचारिक खंडन ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे मूलवाद के निस्तारण तक भूमि वादग्रस्त की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना वादकुलता व न्यायहित के दृष्टिगत उचित व आवश्यक समझते हैं अतः उपरोक्त कारण को ता फैसला मूल वाद अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी ग्राम पूठ का बास उर्फ चावा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 262, 263, 264, 268, 269, 270 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 0.5100 हे. की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:21 IST
Reason: SelfAttested